# कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें
# जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

(केवड़ाबाड़ी बस स्टैंण्ड के पास, रायगढ़ छ.ग. फोन नं. - 07762-231627)

---

क्रमांक / स्टोर / निविदा / 2018-19 / रायगढ़, दिनांक

## -:: *निविदा आमंत्रण सूचना*::-

वर्ष 2018-19 में शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र जिला रायगढ़ (छ.ग.) में पाले जाने वाले चिक, ग्रोवर एवं लेयर पक्षियों के लिए क्रमशः **चिक पेलेट, ग्रोवर पेलेट एवं लेयर पेलेट** क्रय किये जाने हेतु निर्माता फर्मों अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से मुहर बंद लिफाफा में निविदा आमंत्रण की जाती है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निविदा के लिये **रू 500/**(शब्दों में रूपये पॉच सौ मात्र) नगद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान कर कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्राप्त किया जा सकता हैं। डाक से निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु डाक व्यय रू 100/(शब्दों में रूपये सौ मात्र) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। निविदा प्रपत्र क्रय हेतु देय राशि वापसी योग्य नही होगी। डाक द्वारा प्रेषित निविदाओं में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये कार्यालय जिम्मेदार नही होगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने के पूर्व निविदा प्रपत्र का अवलोकन कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है जिसमें क्रय किये जाने वाला तैयार कुक्कुट आहार एवं जमा की जाने वाली सुरक्षा निधि के साथ-साथ निविदा शर्तों का उल्लेख किया गया है।

| क्र. | निविदा का प्रकार | निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा खोलने की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कुक्कुट आहार - चिक पेलेट, ग्रोवर पेलेट एवं लेयर पेलेट | **दिनांक 24.09.2018** संध्या 05.30 बजे तक | **दिनांक 25.09.2018** संध्या 03.00 बजे तक | **दिनांक 25.09.2018** संध्या 04.00 बजे तक |

निविदा प्रपत्र जिले के वेबसाईट **http://raigarh.gov.in** से भी डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड की हुई निविदा प्रपत्र के साथ उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला रायगढ़ के नाम से रू 500/(शब्दों में रूपये पॉच सौ मात्र) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है। निविदा केवल रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी. एण्ड टी. विभाग के अधिकृत कोरियर के द्वारा ली जायेगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेंगी। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही स्थगित/निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ एवं उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला रायगढ़ के पास सुरक्षित है।

अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ता को यह एकाधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के सामयिक कारणों के आधार पर जो कि विचार योग्य नहीं है, निविदा को निरस्त/पोस्टपोण्ड कर सकता है। इस बाबत् किसी भी प्रतिभागी से चर्चा नहीं की जावेगी और ना ही पत्राचार स्वीकार किया जायेगा।

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

My document/2018-19/Store/poultry